

बी.पी.एल. प्रमाणीकरण का प्रारूप

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग बी.पी.एल. श्रेणी के आवेदक निम्न प्रारूप में "विकास अधिकारी, पंचायत समिति" या "अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका" या "आयुक्त, नगर निगम", जो लागू होता हो, के द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। इस प्रमाण-पत्र के साथ नवीनतम राशन कार्ड की सत्यापित प्रति भी आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें।

बी.पी.एल. प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती _____ (परिवार के मुखिया का नाम) पुत्र/पत्नी श्री _____ निवासी _____ (पूरा पता)

राजस्थान सरकार/केन्द्र सरकार के नवीनतम बी.पी.एल. सर्वे _____ के अनुसार बी.पी.एल. सूची में चयनित हैं जिनका बी.पी.एल. क्रमांक _____ है। इनके परिवार के सभी सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

<u>परिवार का सदस्य</u>	<u>मुखिया से सम्बन्ध</u>
1. _____	स्वयं
2. _____	_____
3. _____	_____
4. _____	_____
5. _____	_____
6. _____	_____

(परिवार के सभी सदस्यों का विवरण जिनमें आवेदक का नाम सम्मिलित होना आवश्यक है)

(हस्ताक्षर व मौहर)

विकास अधिकारी, पंचायत समिति /
अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका /
आयुक्त, नगर निगम